न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 20/2021

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनूपसिंह

तारीख रजू:– 24.09.2021

R.A.S.

मु0 मोहरबाई पत्नि झाऊराम जाति मीना निवासी सिंघान मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली _____ अपीलान्ट

बनाम

सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बझेडा, पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली राजस्थान _____ रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं0 576 दि0 12.07.2021 एवं दिनांक 07.09.2021 ग्राम पंचायत बझेडा, पंचायत समिति हिण्डौन

उपस्थितः– 1.श्री अशोक नीमनका एडवोकेट अपीलान्ट

2. श्री आर.सी.जैन एडवोकेट रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः–26.08.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टस पेश कर अपील के मद नं01 में दर्ज किया है कि आदेश तारीखी 07.09.2021 तथ्य व परिस्थितियों के विपरीत व रूयेदाद मिसल होने के फलस्वरूप अपास्त फरमाये जाने योग्य है।

अपील के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 432 रकबा 0.56 है0 ग्राम देदरौली तहसील हिण्डौन को प्रार्थीया अपीलान्ट द्वारा खातेदारान से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 05.07.2021 को मुवलिग

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

251000/– रूपया में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। जिससे अन्य किसी व्यक्ति का कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में है। वर्तमान में उक्त आराजी के सम्पूर्ण रकबा 0.56 है0 पर प्रार्थीया अपीलान्ट बतौर खातेदार काश्तकार काबिज एवं दखील है।

अपील के मद नं03 में दर्ज किया है कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण पंजिका में दिनांक 12.07.2021 को अंकन फरमा दिया। जिसे आई.एल.आर. द्वारा मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अंकन सही पाये जाने के उपरान्त दिनांक 26.07.2021 को अपनी रिपोर्ट नामान्तकरण पंजिका की पुश्त पर अंकित फरमा दी गई। जिस पर उक्त नामान्तकरण संख्या 576 तारीखी 12.07.2021 को ग्राम पंचायत बझेडा की होने वाली ग्राम सभा में रखा गया, जिस पर ग्राम सभा में उपस्थित सदन के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त नामान्तकरण सं0 576 तारीखी 12.07.2021 को सर्व सम्मति से स्वीकार फरमा दिया गया। उक्त समस्त कार्यवाही का विवरण कार्यवाही विवरण रजिस्टर के पेज सं0 15 के प्रस्ताव संख्या 2 में भली प्रकार दिया गया हैं उक्त समस्त वैधानिक कार्यवाही के पूर्ण होने के उपरान्त भी सरपंच महोदय ने दिनांक 07.09.2021 को नामान्तकरण पंजिका की पुश्त पर विवादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट केती का कब्जा नहीं होने का अंकन करते हुए नामान्तकरण खारिज फरमा दिया है। इस प्रकार उक्त आदेश तारीखी 07.09.2021 पूर्ण–रूपेण अवैधानिक व विधि विरूद्ध होने के फलस्वरूप अपास्त फरमाये जाने योग्य है।

अपील के मद नं04 में दर्ज किया है कि सरपंच केशरदेवी स्वंय केवल साक्षर महिला है। इसलिए सरपंच पद की समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन उनके पति भरतराम मीना संभालते हैं। जिनकी प्रार्थीया से राजनैतिक द्वेषता है। जिसके चलते बिगत कार्यकाल में दिनांक 24.01.2015 में होने वाले सरपंच प्रत्याशी के चुनाव में अपीलान्ट का पुत्र मुनेश कुमार मीना विजयी प्रत्याशी रहा है एवं स्वंय सरपंच पति भरतराम मीना उक्त चुनाव में निकटतम प्रतिद्वन्दी रहे थे। जिसके बाबत् सरपंच पति भरतराम मीना द्वारा कई प्रकरण अपीलान्ट के पुत्र के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में दर्ज करवाऐं थे, लेकिन किसी भी प्रकरण में जब उक्त भरतराम मीना को सफलता नहीं मिली एवं वर्तमान कार्यकाल में भरतराम मीना को सफलता नहीं मिली एवं वर्तमान कार्यकाल में भरतराम मीना की पत्नि को सरपंच

उपखण्ड अधिकारी

पद की सफल उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। इसलिए उक्त भरतराम मीना प्रार्थीया से हमेशा द्वेषता रखते हैं एवं जानबूझकर प्रार्थीया को नुकसान पहुँचाने पर आमादा हैं। इसी के चलते उक्त नामान्तकरण सं0 576 गलत व विधि विरूद्ध रूप से खारिज फरमाया गया हे। इसलिए उक्त आदेश तारीखी 07.09.2021 अपास्त फरमाये जाने योग्य है।

अपील के मद नं07 में दर्ज किया है कि अपील अन्दर मियाद पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन किया है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश तारीखी 07.09.2021 अपास्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आया।

वकील अपीलान्ट ने दस्तावेजी सबूत में नकल नामान्तकरण सं0 576 फैंसल दिनांक 12.07.2021, फोटो प्रति पंचों की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर की प्रति, पेश की हैं।

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं01 के वकील उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया है अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस अवगत कराया है कि नामान्तकरण सं0 576 कब्जे के अभाव में खारिज किया गया है, जो सही किया गया है, केता का मौके पर खरीद की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल नामान्तकरण सं0 576 फैंसल दिनांक 07.09.2021 ग्राम देदरौली खाता संख्या 51 खसरा नम्बर 432 रकबा 0.56 है0 का खातेदार ओमप्रकाश पुत्र दुर्गालाल हि0 5/27 , रामखिलाडी पुत्र दुर्गालाल हिस्सा 5/27 गोपाललाल पुत्र दुर्गालाल हि0 5/27 , जगदीश पुत्र दुर्गालाल हि0 5/27 , नारायणलाल पुत्र दुर्गालाल हि0 5/27 , चन्दादेवी पुत्री दुर्गालाल हि0 1/54 , धप्पोदेवी पुत्री दुर्गालाल हि0 1/54 , पिस्तादेवी पुत्री दुर्गालाल हि0 1/54 , सावित्री देवी पुत्री दुर्गालाल हि0 1/54 ,जाति ब्राहम्ण सा0 बीजलवाडा खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

के स्थान पर मोहरबाई पत्नि झाऊराम हिस्सा पूर्ण जाति मीना निवासी सिंघानमीना तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.07.2021 को भरा गया है तथा दिनांक 26.07.2021 को भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बझेडा के द्वारा अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि मुताविक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अंकन सही है तथा दिनांक 07.09.2021 को नामान्तकरण की पुश्त पर टिप्पणी अंकित की है कि वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 432 रकबा 0.56 है0 स्थित ग्राम देदरौली के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में ओमप्रकाश रामखिलाडी गोपाललाल जगदीश प्रसाद नारायणलाल चंदादेवी, पुष्पादेवी, पिस्तादेवी, सावित्री देवी का नाम दर्ज है, उन्होंने इस भूमि का विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा मोहरबाई पत्नि झाऊराम निवासी सिंघानमीना के नाम कर दिया है, लेकिन पिछले 40 वर्षों से उक्त भूमि पर देदरौली के ठाकुरजी मन्दिर के पुजारी ओमप्रकाश शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा का वास्तविक कब्जा है। ओमप्रकाश ने ही उक्त भूमि पर सरसों के लिए सावट जोत लगायी है, कब्जे के अभाव में क्रेता श्रीमती मोहरवाई के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया जाना सम्भव नहीं है। अतः नामान्तकरण खारिज किया जाता है। उक्त नोट किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है तथा हस्ताक्षर केसरदेवी सरपंच ग्राम पंचायत बझेडा के हैं। केसरदेवी सरपंच के हस्ताक्षरों से पता चलता है कि वह मात्र साक्षर है।

फोटो प्रति पंचों की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर की प्रति में अंकन है कि आज दिनांक 03.08.2021 को समय 10.00 बजे राजीव गांधी सेवा केन्द्र बझेडा पर सरपंच श्रीमती केसरदेवी मीना की अध्यक्षता में साधारण बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्न कार्यवाही अमल में लाई गयी।

प्रस्ताव संख्या 1 – गत बैठक का अनुमोदन सर्वप्रथम गाम विकास अधिकारी महोद्य, द्वारा गत बैठक की कार्यवाही को पढकर सुनाया गया जिसका अनुमोदन सदन द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2– नामान्तकरण पर विचार – सदन में नामान्तकरण संख्या 468 ग्राम बझेडा हकत्याग, 283 ग्राम लीलोटी हकत्याग, 575 ग्राम सिंघान मीना बेचान, 576 ग्राम दैररोली बेचान, 579 ग्राम दैदरौली विरासत, 648 ग्राम कारवाडा बेचान, 649 ग्राम कारवाडा बेचान, 650 ग्राम कारवाडा बेचान के सदन में पेश किये गये। जिन पर सदन में विचार किया गया, विचार विमर्श के बाद

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नामान्तकरण स्वीकार किये जाने का अनुमोदन सदन द्वारा सर्व सम्मति से दिया गया। उक्त बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर पर श्रीमती केसरदेवी सरपंच ग्राम पंचायत बझेडा के हस्ताक्षर तथा निशानी अंगूठा केशन्ती, सोनबाई की हैं तथा वृजेश, छोटी, शिवसिंह, व अन्य पंचों के हस्ताक्षर हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 576 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.07.2021 का भरा गया है तथा दिनांक 26.07.2021 को भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बझेडा के द्वारा अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि मुताविक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अंकन सही है तथा सरपंच ग्राम पंचायत बझेडा द्वारा दिनांक 07.09.2021 को नामान्तकरण की पुश्त पर टिप्पणी अंकित की है कि वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 432 रकबा 0.56 है0 स्थित ग्राम देदरौली के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में ओमप्रकाश रामखिलाडी गोपाललाल जगदीश प्रसाद नारायणलाल चंदादेवी, पुष्पादेवी, पिस्तादेवी, सावित्री देवी का नाम दर्ज है, उन्होंने इस भूमि का विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा मोहरबाई पत्नि झाऊराम निवासी सिंघानमीना के नाम कर दिया है, लेकिन पिछले 40 वर्षो से उक्त भूमि पर देदरौली के ठाकुरजी मन्दिर के पुजारी ओमप्रकाश शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा का वास्तविक कब्जा है। ओमप्रकाश ने ही उक्त भूमि पर सरसों के लिए सावट जोत लगायी है, कब्जे के अभाव में केता श्रीमती मोहरवाई के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया जाना सम्भव नहीं है। अतः नामान्तकरण खारिज किया जाता है। उक्त नोट किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है तथा हस्ताक्षर केसरदेवी सरपंच ग्राम पंचायत बझेडा के हैं। केसरदेवी सरपंच के हस्ताक्षरों से पता चलता है कि वह मात्र साक्षर है। नामान्तकरण भरने की दिनांक से 45 दिवस के अन्दर नामान्तकरण तस्दीक का क्षेत्राधिकार सरपंच ग्राम पंचायत बझेडा को प्राप्त थे तथा नामान्तकरण पर गिरदावर की तुलना की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर नामान्तकरण तस्दीक का क्षेत्राधिकार सरपंच ग्राम पंचायत बझेडा को प्राप्त थे। जबकि श्रीमती केसर देवी, सरपंच ग्राम पंचायत बझेडा, पंचायत समिति हिण्डौन के द्वारा उक्त नामान्तकरण भरने की दिनांक 12.07.2021 के बाद दिनांक 07.09.2021 को नामान्तकरण सं0 576 तस्दीक किया गया है जो लगभग 56 दिवस बाद तस्दीक किया गया है। जबकि उक्त नामान्तकरण को पटवारी हल्का ने दिनांक 03.08.2021 की ग्राम संभा में श्रीमती केसर देवी सरपंच ग्राम पंचायत

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बझेडा के समक्ष पेश कर दिया था, जिसकी पुष्टि फोटो प्रति पंचों की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर की प्रति में प्रस्ताव संख्या 2– के अवलोकन स्पष्ट है। प्रस्ताव संख्या 2 में उक्त नामान्तकरण सं0 576 को सदन में पेश किया गया। जिस पर सदन में विचार किया गया, विचार विमर्श के बाद नामान्तकरण स्वीकार किये जाने का अनुमोदन सदन द्वारा सर्व सम्मति से दिया गया। उक्त बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर पर श्रीमती केसरदेवी सरपंच ग्राम पंचायत बझेडा के हस्ताक्षर तथा निशानी अंगूठा केशन्ती, सोनबाई की हैं तथा वृजेश, छोटी, शिवसिंह, व अन्य पंचों के हस्ताक्षर हैं। तथा उक्त बैठक में प्राप्त नामान्तकरणों को तस्दीक करने की कार्यवाही आगामी बैठक में किये जाने सम्बन्धी कोई उल्लेख बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर में अंकित नहीं है। इसलिए सरपंच ग्राम पंचायत बझेडा के द्वारा उक्त विवादित नामान्तकरण सं0 576 को दिनांक 03.08.2021 को ग्राम सभा में तस्दीक क्यों नहीं किया गया दिनांक 07.09.2021 को तस्दीक किया गया है, जो सरपंच ग्राम पंचायत बझेडा की समय सीमा से बाहर तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण भरने की दिनांक से 45 दिवस बाद नामान्तकरण तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार सरपंच ग्राम पंचायत बझेडा को नहीं रहता है बल्कि सम्बन्धित तहसीलदार/ नायबतहसीलदार के क्षेत्राधिकार का होता है। इस प्रकार श्रीमती केसर देवी सरपंच ग्राम पंचायत बझेडा ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुएं उक्त नामान्तकरण सं0 576 को गलत रूप से एवं बदयान्ति पूर्वक निरस्त किया गया है। जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में बेचान की गई भूमि पर कब्जा संभलाना अंकित होता है अर्थात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तकरण तस्दीक करते समय कब्जे की स्थिति को नहीं देखा जाता है बल्कि केता का स्वतः ही कब्जा काश्त माना जाता है। इससे साफ जाहिर है कि सरपंच ग्राम पंचायत बझेडा, पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए उक्त नामान्तकरण सं0 576 फैंसल दिनांक 07.09.2021 को गलत व अवैधानिक़ रूप अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर खारिज किया गया है, जिसके लिए श्रीमती केसरदेवी सरपंच ग्राम पंचायत बझेडा पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को लिखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होती है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 576 पर श्रीमती केसर देवी सरपंच ग्राम पंचायत बझेडा, पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली का आदेश दिनांक 07.09.2021 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर केता/अपीलान्ट श्रीमती मोहरबाई पत्नि झाऊराम जाति मीना निवासी सिंघानमीना तहसील हिण्डौन के हक में नियमानुसार नामान्तकरण भरकर तस्दीक करें तथा श्रीमती केसरदेवी सरपंच ग्राम पंचायत बझेडा पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्णय की प्रति पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को भेजी जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली